संख्या-50/2023/ —— /001-1078-26-3-2023-CN-1615140

प्रेषक,

डॉ0 रमेश चन्द्र तिवारी
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनांक 21 अप्रैल, 2023**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में राजस्व मद में प्राविधानित धनराशियों के सापेक्ष राज्यांश से संचालित योजनाओं हेतु वित्तीय स्वीकृतियों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-526-ज0जा0वि0/लेखा/2022-23, दिनांक 23.03.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनॉक 17-03-2023, जो समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0 को भी पृष्ठांकित है, द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिये वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं, जिसके अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक-2225-अनूसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-796-जनजातीय उपयोजना के अन्तर्गत चालू कार्यक्रमों पर व्यय किये जाने हेतु राज्यांश के रूप में प्राविधानित धनराशि रूपये 4756.66 लाख के सापेक्ष **धनराशि रूपये 3399.47 लाख (रूपये तैतीस करोड़ निन्यान्वे लाख सैंतालीस हजार मात्र)** की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति संलग्न परिशिष्ट में दिये गये विवरण के अनुसार अवमुक्त कर निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि वर्ष 2023-24 के लिये है, जिसके सापेक्ष अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें, जहां तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग प्रतिमाह समान रूप से की जाय। बजट

आवंटन में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाय कि आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय यदि सम्बन्धित विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को सम्बन्धित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय। धनराशि के एक मुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबन्धन (कैश मैनेजमेन्ट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय हेतु वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनॉक 17-03-2023 में दिये गये दिशा-निर्देशों एवं प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये। धनराशि के व्यय हेतु शासन द्वारा मितव्ययिता के संबंध में समय-समय पर निर्गत सुसंगत वित्तीय नियमों तथा आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा उ0प्र0 बजट मैनुअल के पैरा-88 में इंगित व्यवस्था के अनुसार व्यय को प्राधिकृत विनियोग सीमा/स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि के भीतर रखा जाये।

(3) वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष व्यय की नियमित संवीक्षा अपने स्तर पर किये जाने की व्यवस्था करें तथा समीक्षा में यदि किसी मामले में सीमाधिक्य व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल शासन के समाज कल्याण विभाग तथा संबंधित वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग के संज्ञान में लाया जाये। इस संबंध में बी0एम0-13 में नियमित रूप से शासन को सूचना उपलब्ध कराई जाये तथा बजट मैनुअल में निर्धारित विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से इस संबंध में निर्धारित कैलेण्डर के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय के विवरण सहित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उपर्युक्त धनराशि व्यय किये जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2225027960300 (मुख्यालय अधिष्ठान)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	081	2225027960300 मुख्यालय अधिष्ठान	01 वेतन	2,00,00,000 (रुपये दो करोड़ मात्र)
2	081	2225027960300 मुख्यालय अधिष्ठान	02 मजदूरी	4,00,000 (रुपये चार लाख मात्र)
3	081	2225027960300 मुख्यालय अधिष्ठान	03 मंहगाई भत्ता	90,00,000 (रुपये नव्वे लाख मात्र)
4	081	2225027960300 मुख्यालय अधिष्ठान	04 यात्रा व्यय	1,50,000 (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र)
5	081	2225027960300 मुख्यालय अधिष्ठान	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
6	081	2225027960300 मुख्यालय अधिष्ठान	06 अन्य भत्ते	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
7	081	2225027960300 मुख्यालय अधिष्ठान	07 मानदेय	10,000 (रुपये दस हजार मात्र)
8	081	2225027960300 मुख्यालय अधिष्ठान	08 कार्यालय व्यय	5,00,000 (रुपये पांच लाख मात्र)
9	081	2225027960300 मुख्यालय अधिष्ठान	09 विद्युत देय	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
10	081	2225027960300 मुख्यालय अधिष्ठान	10 जलकर / जल प्रभार	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
11	081	2225027960300 मुख्यालय अधिष्ठान	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)
12	081	2225027960300	12	6,00,000

		मुख्यालय अधिष्ठान	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	(रुपये छह लाख मात्र)
13	081	2225027960300 मुख्यालय अधिष्ठान	13 टेलीफोन पर व्यय	1,20,000 (रुपये एक लाख बीस हजार मात्र)
14	081	2225027960300 मुख्यालय अधिष्ठान	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	17,00,000 (रुपये सत्रह लाख मात्र)
15	081	2225027960300 मुख्यालय अधिष्ठान	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)
16	081	2225027960300 मुख्यालय अधिष्ठान	17 किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	16,00,000 (रुपये सोलह लाख मात्र)
17	081	2225027960300 मुख्यालय अधिष्ठान	18 प्रकाशन	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
18	081	2225027960300 मुख्यालय अधिष्ठान	19 विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
19	081	2225027960300 मुख्यालय अधिष्ठान	26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	2,50,000 (रुपये दो लाख पचास हजार मात्र)
20	081	2225027960300 मुख्यालय अधिष्ठान	29 अनुरक्षण	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)
21	081	2225027960300 मुख्यालय अधिष्ठान	42 अन्य व्यय	2,50,000 (रुपये दो लाख पचास हजार मात्र)
22	081	2225027960300 मुख्यालय अधिष्ठान	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
23	081	2225027960300 मुख्यालय अधिष्ठान	45 अवकाश यात्रा व्यय	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
24	081	2225027960300	46	3,00,000

		मुख्यालय अधिष्ठान	कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	(रुपये तीन लाख मात्र)
25	081	2225027960300 मुख्यालय अधिष्ठान	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	5,00,000 (रुपये पांच लाख मात्र)
26	081	2225027960300 मुख्यालय अधिष्ठान	49 चिकित्सा व्यय	6,00,000 (रुपये छह लाख मात्र)
27	081	2225027960300 मुख्यालय अधिष्ठान	51 वर्दी व्यय	15,000 (रुपये पंद्रह हजार मात्र)
28	081	2225027960300 मुख्यालय अधिष्ठान	55 मकान किराया भत्ता	16,00,000 (रुपये सोलह लाख मात्र)
29	081	2225027960300 मुख्यालय अधिष्ठान	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
	कुल			**4,11,95,000 (रुपये चार करोड़ ग्यारह लाख पंचानबे हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2225027960400 (एकीकृत जनजाति विकास परियोजना खीरी व थारू विकास परियोजना बलरामपुर के अन्तर्गत चिकित्सालयों का संचालन)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	081	2225027960400 एकीकृत जनजाति विकास परियोजना खीरी व थारू विकास परियोजना बलरामपुर के अन्तर्गत चिकित्सालयों का संचालन	26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	1,30,000 (रुपये एक लाख तीस हजार मात्र)
2	081	2225027960400 एकीकृत जनजाति विकास परियोजना खीरी व थारू विकास परियोजना बलरामपुर के अन्तर्गत चिकित्सालयों का संचालन	39 औषधि तथा रसायन	3,50,000 (रुपये तीन लाख पचास हजार मात्र)
3	081	2225027960400 एकीकृत जनजाति विकास परियोजना खीरी	42 अन्य व्यय	1,20,000 (रुपये एक लाख

		व थारू विकास परियोजना बलरामपुर के अन्तर्गत चिकित्सालयों का संचालन		बीस हजार मात्र)
	कुल			**6,00,000 (रुपये छह लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2225027960500 (एकीकृत जनजाति विकास परियोजना का क्रियान्वयन)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	081	2225027960500 एकीकृत जनजाति विकास परियोजना का क्रियान्वयन	01 वेतन	1,69,50,000 (रुपये एक करोड़ उनहत्तर लाख पचास हजार मात्र)
2	081	2225027960500 एकीकृत जनजाति विकास परियोजना का क्रियान्वयन	02 मजदूरी	12,50,000 (रुपये बारह लाख पचास हजार मात्र)
3	081	2225027960500 एकीकृत जनजाति विकास परियोजना का क्रियान्वयन	03 मंहगाई भत्ता	60,38,000 (रुपये साठ लाख अड़तीस हजार मात्र)
4	081	2225027960500 एकीकृत जनजाति विकास परियोजना का क्रियान्वयन	04 यात्रा व्यय	5,20,000 (रुपये पांच लाख बीस हजार मात्र)
5	081	2225027960500 एकीकृत जनजाति विकास परियोजना का क्रियान्वयन	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	1,10,000 (रुपये एक लाख दस हजार मात्र)
6	081	2225027960500 एकीकृत जनजाति विकास परियोजना का क्रियान्वयन	06 अन्य भत्ते	40,000 (रुपये चालीस हजार मात्र)
7	081	2225027960500 एकीकृत जनजाति विकास परियोजना का क्रियान्वयन	07 मानदेय	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
8	081	2225027960500 एकीकृत जनजाति विकास परियोजना का क्रियान्वयन	08 कार्यालय व्यय	5,70,000 (रुपये पांच लाख सत्तर हजार मात्र)
9	081	2225027960500 एकीकृत जनजाति विकास परियोजना का क्रियान्वयन	10 जलकर / जल प्रभार	75,000 (रुपये पचहत्तर हजार मात्र)

10	081	2225027960500 एकीकृत जनजाति विकास परियोजना का क्रियान्वयन	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	3,25,000 (रुपये तीन लाख पच्चीस हजार मात्र)
11	081	2225027960500 एकीकृत जनजाति विकास परियोजना का क्रियान्वयन	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	6,00,000 (रुपये छह लाख मात्र)
12	081	2225027960500 एकीकृत जनजाति विकास परियोजना का क्रियान्वयन	13 टेलीफोन पर व्यय	30,000 (रुपये तीस हजार मात्र)
13	081	2225027960500 एकीकृत जनजाति विकास परियोजना का क्रियान्वयन	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	15,20,000 (रुपये पंद्रह लाख बीस हजार मात्र)
14	081	2225027960500 एकीकृत जनजाति विकास परियोजना का क्रियान्वयन	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	4,25,000 (रुपये चार लाख पच्चीस हजार मात्र)
15	081	2225027960500 एकीकृत जनजाति विकास परियोजना का क्रियान्वयन	17 किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	60,000 (रुपये साठ हजार मात्र)
16	081	2225027960500 एकीकृत जनजाति विकास परियोजना का क्रियान्वयन	18 प्रकाशन	3,40,000 (रुपये तीन लाख चालीस हजार मात्र)
17	081	2225027960500 एकीकृत जनजाति विकास परियोजना का क्रियान्वयन	19 विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	2,30,000 (रुपये दो लाख तीस हजार मात्र)
18	081	2225027960500 एकीकृत जनजाति विकास परियोजना का क्रियान्वयन	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	60,20,000 (रुपये साठ लाख बीस हजार मात्र)
19	081	2225027960500 एकीकृत जनजाति विकास परियोजना का क्रियान्वयन	26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	6,00,000 (रुपये छह लाख मात्र)
20	081	2225027960500 एकीकृत जनजाति विकास परियोजना का क्रियान्वयन	29 अनुरक्षण	9,00,000 (रुपये नौ लाख मात्र)
21	081	2225027960500 एकीकृत जनजाति विकास	31 सहायता अनुदान -	24,11,000 (रुपये चौबीस लाख

		परियोजना का क्रियान्वयन	सामान्य (वेतन)	ग्यारह हजार मात्र)
22	081	2225027960500 एकीकृत जनजाति विकास परियोजना का क्रियान्वयन	42 अन्य व्यय	16,60,000 (रुपये सोलह लाख साठ हजार मात्र)
23	081	2225027960500 एकीकृत जनजाति विकास परियोजना का क्रियान्वयन	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	2,55,000 (रुपये दो लाख पचपन हजार मात्र)
24	081	2225027960500 एकीकृत जनजाति विकास परियोजना का क्रियान्वयन	45 अवकाश यात्रा व्यय	1,30,000 (रुपये एक लाख तीस हजार मात्र)
25	081	2225027960500 एकीकृत जनजाति विकास परियोजना का क्रियान्वयन	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	6,20,000 (रुपये छह लाख बीस हजार मात्र)
26	081	2225027960500 एकीकृत जनजाति विकास परियोजना का क्रियान्वयन	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	4,40,000 (रुपये चार लाख चालीस हजार मात्र)
27	081	2225027960500 एकीकृत जनजाति विकास परियोजना का क्रियान्वयन	49 चिकित्सा व्यय	2,75,000 (रुपये दो लाख पचहत्तर हजार मात्र)
28	081	2225027960500 एकीकृत जनजाति विकास परियोजना का क्रियान्वयन	51 वर्दी व्यय	30,000 (रुपये तीस हजार मात्र)
29	081	2225027960500 एकीकृत जनजाति विकास परियोजना का क्रियान्वयन	55 मकान किराया भत्ता	1,30,000 (रुपये एक लाख तीस हजार मात्र)
30	081	2225027960500 एकीकृत जनजाति विकास परियोजना का क्रियान्वयन	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	62,50,000 (रुपये बासठ लाख पचास हजार मात्र)
	कुल			**4,88,54,000 (रुपये चार करोड़ अट्ठासी लाख चौवन हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2225027960600 (जिला कार्यालय का जनजाति विकास सम्बन्धी अधिष्ठान)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	081	2225027960600 जिला कार्यालय का जनजाति विकास सम्बन्धी अधिष्ठान	01 वेतन	15,96,000 (रुपये पंद्रह लाख छियानबे हजार मात्र)
2	081	2225027960600 जिला कार्यालय का जनजाति विकास सम्बन्धी अधिष्ठान	03 मंहगाई भत्ता	7,18,000 (रुपये सात लाख अठारह हजार मात्र)
3	081	2225027960600 जिला कार्यालय का जनजाति विकास सम्बन्धी अधिष्ठान	04 यात्रा व्यय	20,000 (रुपये बीस हजार मात्र)
4	081	2225027960600 जिला कार्यालय का जनजाति विकास सम्बन्धी अधिष्ठान	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	20,000 (रुपये बीस हजार मात्र)
5	081	2225027960600 जिला कार्यालय का जनजाति विकास सम्बन्धी अधिष्ठान	06 अन्य भत्ते	10,000 (रुपये दस हजार मात्र)
6	081	2225027960600 जिला कार्यालय का जनजाति विकास सम्बन्धी अधिष्ठान	08 कार्यालय व्यय	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
7	081	2225027960600 जिला कार्यालय का जनजाति विकास सम्बन्धी अधिष्ठान	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	40,000 (रुपये चालीस हजार मात्र)
8	081	2225027960600 जिला कार्यालय का जनजाति विकास सम्बन्धी अधिष्ठान	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	25,000 (रुपये पच्चीस हजार मात्र)
9	081	2225027960600 जिला कार्यालय का जनजाति विकास सम्बन्धी अधिष्ठान	17 किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	25,000 (रुपये पच्चीस हजार मात्र)
10	081	2225027960600 जिला कार्यालय का जनजाति विकास सम्बन्धी अधिष्ठान	18 प्रकाशन	70,000 (रुपये सत्तर हजार मात्र)
11	081	2225027960600 जिला कार्यालय का जनजाति विकास सम्बन्धी अधिष्ठान	45 अवकाश यात्रा व्यय	25,000 (रुपये पच्चीस हजार मात्र)
12	081	2225027960600	49	1,00,000

		जिला कार्यालय का जनजाति विकास सम्बन्धी अधिष्ठान	चिकित्सा व्यय	(रुपये एक लाख मात्र)
13	081	2225027960600 जिला कार्यालय का जनजाति विकास सम्बन्धी अधिष्ठान	51 वर्दी व्यय	10,000 (रुपये दस हजार मात्र)
14	081	2225027960600 जिला कार्यालय का जनजाति विकास सम्बन्धी अधिष्ठान	55 मकान किराया भत्ता	1,50,000 (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र)
15	081	2225027960600 जिला कार्यालय का जनजाति विकास सम्बन्धी अधिष्ठान	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)
	कुल			**31,59,000 (रुपये इकतीस लाख उनसठ हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2225027960800 (अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	081	2225027960800 अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास	01 वेतन	10,91,000 (रुपये दस लाख इक्यानबे हजार मात्र)
2	081	2225027960800 अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास	02 मजदूरी	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)
3	081	2225027960800 अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास	03 मंहगाई भत्ता	4,91,000 (रुपये चार लाख इक्यानबे हजार मात्र)
4	081	2225027960800 अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास	04 यात्रा व्यय	10,000 (रुपये दस हजार मात्र)
5	081	2225027960800 अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	20,000 (रुपये बीस हजार मात्र)
6	081	2225027960800 अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास	06 अन्य भत्ते	10,000 (रुपये दस हजार मात्र)

7	081	2225027960800 अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास	08 कार्यालय व्यय	25,000 (रुपये पच्चीस हजार मात्र)
8	081	2225027960800 अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास	10 जलकर / जल प्रभार	10,000 (रुपये दस हजार मात्र)
9	081	2225027960800 अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	25,000 (रुपये पच्चीस हजार मात्र)
10	081	2225027960800 अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	40,000 (रुपये चालीस हजार मात्र)
11	081	2225027960800 अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास	26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	60,000 (रुपये साठ हजार मात्र)
12	081	2225027960800 अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास	29 अनुरक्षण	80,000 (रुपये अस्सी हजार मात्र)
13	081	2225027960800 अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास	41 भोजन व्यय	1,20,000 (रुपये एक लाख बीस हजार मात्र)
14	081	2225027960800 अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास	42 अन्य व्यय	10,000 (रुपये दस हजार मात्र)
15	081	2225027960800 अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास	43 सामग्री एवं सम्पूर्ति	80,000 (रुपये अस्सी हजार मात्र)
16	081	2225027960800 अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	5,000 (रुपये पांच हजार मात्र)
17	081	2225027960800 अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास	45 अवकाश यात्रा व्यय	10,000 (रुपये दस हजार मात्र)
18	081	2225027960800 अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास	49 चिकित्सा व्यय	20,000 (रुपये बीस हजार मात्र)

19	081	2225027960800 अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास	51 वर्दी व्यय	5,000 (रुपये पांच हजार मात्र)
20	081	2225027960800 अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास	55 मकान किराया भत्ता	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
21	081	2225027960800 अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख मात्र)
	कुल			**49,62,000 (रुपये उनचास लाख बासठ हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2225027960900 (अनुसूचित जनजातियों के लिए राजकीय आश्रम पद्यति विद्यालय)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	081	2225027960900 अनुसूचित जनजातियों के लिए राजकीय आश्रम पद्यति विद्यालय	01 वेतन	3,95,00,000 (रुपये तीन करोड़ पंचानबे लाख मात्र)
2	081	2225027960900 अनुसूचित जनजातियों के लिए राजकीय आश्रम पद्यति विद्यालय	02 मजदूरी	15,50,000 (रुपये पंद्रह लाख पचास हजार मात्र)
3	081	2225027960900 अनुसूचित जनजातियों के लिए राजकीय आश्रम पद्यति विद्यालय	03 मंहगाई भत्ता	1,77,75,000 (रुपये एक करोड़ सतहत्तर लाख पचहत्तर हजार मात्र)
4	081	2225027960900 अनुसूचित जनजातियों के लिए राजकीय आश्रम पद्यति विद्यालय	04 यात्रा व्यय	5,50,000 (रुपये पांच लाख पचास हजार मात्र)
5	081	2225027960900 अनुसूचित जनजातियों के लिए राजकीय आश्रम पद्यति	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)

		विद्यालय		
6	081	2225027960900 अनुसूचित जनजातियों के लिए राजकीय आश्रम पद्यति विद्यालय	06 अन्य भत्ते	1,50,000 (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र)
7	081	2225027960900 अनुसूचित जनजातियों के लिए राजकीय आश्रम पद्यति विद्यालय	08 कार्यालय व्यय	25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख मात्र)
8	081	2225027960900 अनुसूचित जनजातियों के लिए राजकीय आश्रम पद्यति विद्यालय	10 जलकर / जल प्रभार	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
9	081	2225027960900 अनुसूचित जनजातियों के लिए राजकीय आश्रम पद्यति विद्यालय	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	4,50,000 (रुपये चार लाख पचास हजार मात्र)
10	081	2225027960900 अनुसूचित जनजातियों के लिए राजकीय आश्रम पद्यति विद्यालय	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	6,00,000 (रुपये छह लाख मात्र)
11	081	2225027960900 अनुसूचित जनजातियों के लिए राजकीय आश्रम पद्यति विद्यालय	13 टेलीफोन पर व्यय	1,50,000 (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र)
12	081	2225027960900 अनुसूचित जनजातियों के लिए राजकीय आश्रम पद्यति विद्यालय	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	9,00,000 (रुपये नौ लाख मात्र)
13	081	2225027960900 अनुसूचित जनजातियों के लिए राजकीय आश्रम पद्यति विद्यालय	19 विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)
14	081	2225027960900 अनुसूचित जनजातियों के	29 अनुरक्षण	9,00,000 (रुपये नौ लाख मात्र)

		लिए राजकीय आश्रम पद्यति विद्यालय		
15	081	2225027960900 अनुसूचित जनजातियों के लिए राजकीय आश्रम पद्यति विद्यालय	31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	3,45,42,000 (रुपये तीन करोड़ पैंतालीस लाख बयालीस हजार मात्र)
16	081	2225027960900 अनुसूचित जनजातियों के लिए राजकीय आश्रम पद्यति विद्यालय	39 औषधि तथा रसायन	4,50,000 (रुपये चार लाख पचास हजार मात्र)
17	081	2225027960900 अनुसूचित जनजातियों के लिए राजकीय आश्रम पद्यति विद्यालय	40 औषधालय सम्बन्धी आवश्यक सज्जा	4,50,000 (रुपये चार लाख पचास हजार मात्र)
18	081	2225027960900 अनुसूचित जनजातियों के लिए राजकीय आश्रम पद्यति विद्यालय	41 भोजन व्यय	5,00,00,000 (रुपये पांच करोड़ मात्र)
19	081	2225027960900 अनुसूचित जनजातियों के लिए राजकीय आश्रम पद्यति विद्यालय	42 अन्य व्यय	2,50,000 (रुपये दो लाख पचास हजार मात्र)
20	081	2225027960900 अनुसूचित जनजातियों के लिए राजकीय आश्रम पद्यति विद्यालय	43 सामग्री एवं सम्पूर्ति	1,08,00,000 (रुपये एक करोड़ आठ लाख मात्र)
21	081	2225027960900 अनुसूचित जनजातियों के लिए राजकीय आश्रम पद्यति विद्यालय	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	30,000 (रुपये तीस हजार मात्र)
22	081	2225027960900 अनुसूचित जनजातियों के लिए राजकीय आश्रम पद्यति विद्यालय	45 अवकाश यात्रा व्यय	30,000 (रुपये तीस हजार मात्र)
23	081	2225027960900	46	3,00,000

		अनुसूचित जनजातियों के लिए राजकीय आश्रम पद्यति विद्यालय	कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	(रुपये तीन लाख मात्र)
24	081	2225027960900 अनुसूचित जनजातियों के लिए राजकीय आश्रम पद्यति विद्यालय	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	5,00,000 (रुपये पांच लाख मात्र)
25	081	2225027960900 अनुसूचित जनजातियों के लिए राजकीय आश्रम पद्यति विद्यालय	49 चिकित्सा व्यय	8,00,000 (रुपये आठ लाख मात्र)
26	081	2225027960900 अनुसूचित जनजातियों के लिए राजकीय आश्रम पद्यति विद्यालय	51 वर्दी व्यय	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
27	081	2225027960900 अनुसूचित जनजातियों के लिए राजकीय आश्रम पद्यति विद्यालय	55 मकान किराया भत्ता	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
28	081	2225027960900 अनुसूचित जनजातियों के लिए राजकीय आश्रम पद्यति विद्यालय	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	1,50,00,000 (रुपये एक करोड़ पचास लाख मात्र)
	कुल			**17,96,77,000 (रुपये सत्रह करोड़ छियानबे लाख सतहत्तर हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2225027961000 (अनुसूचित जनजाति की छात्राओं हेतु बुक बैंक योजना के अन्तर्गत नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकों हेतु अनुदान)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	081	2225027961000 अनुसूचित जनजाति की छात्राओं हेतु बुक बैंक योजना के अन्तर्गत नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकों हेतु अनुदान	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	5,00,000 (रुपये पांच लाख मात्र)

	कुल			**5,00,000 (रुपये पांच लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2225027961101 (कक्षा 9 व 10 के छात्रों को निर्धनता के आधार पर सहायता)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	081	2225027961101 कक्षा 9 व 10 के छात्रों को निर्धनता के आधार पर सहायता	21 छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	1,10,00,000 (रुपये एक करोड़ दस लाख मात्र)
	कुल			**1,10,00,000 (रुपये एक करोड़ दस लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2225027961200 (अनुसूचित जनजाति के छात्राओं हेतु यूनीफार्म एवं बाइसकिल अनुदान)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	081	2225027961200 अनुसूचित जनजाति के छात्राओं हेतु यूनीफार्म एवं बाइसकिल अनुदान	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र)
	कुल			**1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2225027961300 (दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	081	2225027961300 दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति	21 छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	2,50,00,000 (रुपये दो करोड़ पचास लाख मात्र)
	कुल			**2,50,00,000 (रुपये दो करोड़ पचास लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2225027961400 (अनुसूचित जनजातियों की सहायता प्राप्त पाठशालाओं, पुस्तकालयों व छात्रावासों के सुधार / विकास)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	081	2225027961400 अनुसूचित जनजातियों की सहायता प्राप्त पाठशालाओं, पुस्तकालयों व छात्रावासों के सुधार / विकास	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	1,25,00,000 (रुपये एक करोड़ पच्चीस लाख मात्र)
	कुल			**1,25,00,000 (रुपये एक करोड़ पच्चीस लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2225027961500 (अत्याचारों से उत्पीडित अनुसूचित जनजातियों की सहायता)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	081	2225027961500 अत्याचारों से उत्पीडित अनुसूचित जनजातियों की सहायता	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख मात्र)
	कुल			**25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख मात्र)**

महायोग	33,99,47,000 (रुपये तैंतीस करोड़ निन्यानवे लाख सैंतालीस हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

Signed by रमेश चन्द्र तिवारी
Date: 21-04-2023 16:05:27
Reason: Approved

(डॉ0 रमेश चन्द्र तिवारी)
उप सचिव

संख्या-5 6/2023/ —— /001-1078-26-3-2023-CN-1615140, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4- प्रधान महालेखाकार (सिविल ऑडिट) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
5- मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-4/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
7- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी द्वारा निदेशक, जनजाति विकास, उ0प्र0।
8- मुख्य् वित्त् एवं लेखाधिकारी निदेशालय जनजाति विकास उ0प्र0 लखनऊ।
9- निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
10-गार्डफाइल।

आज्ञा से,

डॉ0 रमेश चन्द्र तिवारी
उप सचिव